जोधपुर, बीकानेर और नागौर में घी कारोबारी के यहां आयकर टीम का छापा

कार्रवाई में आयकर विभाग को क्या गड़बड़ी मिली है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है

■ **बताया जा रहा है कि विभाग को समूह की ओर से बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी और अघोषित आय के इनपुट मिले थे, जिसके आधार पर यह सर्च ऑपरेशन चलाया गया है**

जोधपुर/बीकानेर, (कासं)। जोधपुर के एक घी कारोबारियों के यहां आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा। जोधपुर में मालाणी डेयरी कारोबारी के पांच अलग-अलग ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई व्यवसायी घनश्याम सोनी और उनसे जुड़ी फर्मों पर की जा रही है। इसमें मंडोर मंडी, न्यू पावर हाउस रोड, बोरानाडा इंडस्ट्रियल एरिया, शहर के भीतरी हिस्से में स्थित घर, शास्त्री नगर का बंगला शामिल है। कार्रवाई के दौरान किसी भी बाहरी व्यक्ति को अंदर जाने या अंदर से बाहर आने की अनुमति नहीं दी गई है। पुलिस को तैनात किया गया है। बताया जा रहा है कि विभाग को समूह की ओर से बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी और अघोषित आय के इनपुट मिले थे, जिसके आधार पर यह सर्च ऑपरेशन चलाया गया है।

विभागीय सूत्रों के अनुसार यूपी से आयकर इन्वेस्टिगेशन विंग की टीम बुधवार को फ्लाइट से जोधपुर पहुंची थी। यहां से टीम कार्रवाई के लिए पहुंची थी। नागौर और बीकानेर में भी कार्रवाई चल रही है। मालाणी ग्रुप जोधपुर सहित पश्चिमी राजस्थान में डेयरी उत्पादों, विशेषकर घी के थोक व्यापारी है। समूह के संबंध में ऑनलाइन उपलब्ध कंपनी डेटा के अनुसार, मालाणी डेयरी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों में घनश्याम सोनी के अलावा सुनीता सोनी, विनोद सोनी और विवेक सोनी शामिल है।

विभिन्न बिजनेस लिस्टिंग प्लेटफॉर्म पर कंपनी का टर्नओवर 500 करोड़ रुपए से अधिक बताया गया है, जो इसके बड़े पैमाने के कारोबार को दर्शाता है। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस गुलाब सागर क्षेत्र में है, जबकि गोदाम और कामकाज मंडोर मंडी और बासनी, बोरानाडा औद्योगिक क्षेत्रों से संचालित होता है। कार्रवाई की सूचना के बाद मंडोर मंडी और बोरानाडा औद्योगिक क्षेत्र के अन्य कारोबारियों में हड़कंप मच गया। फिलहाल विभाग की ओर से आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी साझा नहीं की गई है।

बीकानेर संवाददाता के अनुसार :- यहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक फर्म पर रेड की कार्रवाई की है। फर्म के यहां कोयला गली स्थित ऑफिस पर सुबह से इनकम टैक्स ऑफिसर रिकार्ड की छानबीन कर रहे हैं। बीकानेर में घी वितरक फर्म मोहनलाल आशीष कुमार के यहां आयकर विभाग ने रेड की है। कोयला गली में स्थित इस फर्म के ऑफिस में आयकर अधिकारी अकाउंट से संबंधित सभी रिकॉर्ड चेक किए जा रहे हैं। ये फर्म एक घी कंपनी के ब्रांड की वितरक है, जिसकी बीकानेर में बड़ी डिमांड है। कार्रवाई इस फर्म की हो रही है न कि संबंधित घी कंपनी की। फर्म मोहनलाल आशीष कुमार के जीएसटी बिलों को लेकर पहले भी सवाल उठ चुके हैं, जिसकी जांच अलग से चल रही है। सुबह जल्दी फर्म के ऑफिस पर आयकर विभाग के अधिकारी पहुंच गए थे। इसके बाद से फर्म संचालकों के अलावा किसी बाहरी व्यक्ति को न तो अंदर प्रवेश दिया और न किसी को बाहर जाने दिया। किसी तरह के कागज व सामान भी अंदर-बाहर नहीं किया। आयकर विभाग की रिपोर्ट पर कोटगेट पुलिस भी मौके पर है। पुलिसकर्मी किसी को अंदर आने जाने नहीं दे रहे हैं। इस कार्रवाई में आयकर विभाग को क्या गड़बड़ मिली है इस बारे में कोई अधिकृत जानकारी नहीं दी गई है। आयकर विभाग के अधिकारी फिलहाल इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं।

ट्रेन की चपेट से युवक की मौत

डूंगरपुर, (निसं)। जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत आतरसोबा गांव में रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान आंतरसोबा निवासी विजयपाल के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलने पर रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ और बिछीवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची।

आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर पंकज कुमार ने बताया कि अहमदाबाद से कोटा जाने वाली असारवा-कोटा ट्रेन की चपेट में आने से आंतरसोबा और बिलपण गांव के बीच एक युवक की मौत की जानकारी मिली थी। पुलिस दल ने मौके पर पहुंचकर रेलवे ट्रैक पर पड़े शव को हटवाया। इस घटना के कारण असारवा-कोटा ट्रेन लगभग 15 मिनट तक ट्रैक पर रुकी रही, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। मृतक की पहचान होने के बाद परिजनों को सूचित किया गया। परिजनों ने पुलिस को दी गई रिपोर्ट में बताया कि विजयपाल पिछले करीब 20 साल से मानसिक रूप से बीमार थे। उन्होंने शव का पोस्टमार्टम कराने से इंकार कर दिया। परिजनों के लिखित आग्रह पर पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई पूरी कर शव उन्हें सौंप दिया।

मादक पदार्थ सहित तीन गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। देवली मांझी पुलिस टीम ने चैकिंग के दौरान अवैध मादक पदार्थ गांजा सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि देवली मांझी थाने के थानाधिकारी सुनील कुमार सिंह ने इलाके में बाइक सवार तीन जनों को रोककर तलाशी ली तो तलाशी के दौरान अवैध मादक पदार्थ 299 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस टीम ने एनडीपीएस एक्ट में गिरधरपुरा निवासी विष्णु, महावीर एवं दीनदयाल को गिरफ्तार किया। पकड़े गये आरोपियों से अनुसंधान जारी है।

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला रसद अधिकारी, जालोर
जिला उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी
क्रमांक-रसद/लेखा/निविदा/2026 दिनांक-
NOTICE INVITING BID 03/2026
e-Bids For Selection Of Transporter For The Transportation Of Food grains under MDM From FCI Depots in District Jalore are invited From interested bidders up to 20.01.2026. other particulars of the bid may be visited on The Procurement Portal (http://eproc.rajasthan.gov.in or http:sppp.rajasthan.gov.in) of The State.
UNB FCC2526SLOB00189
NIB Code FCC2526A0154
(अलोक झरवाल)
जिला रसद अधिकारी
जिला उपभोक्ता अधिकारी
जिला उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी
जालोर
DIPR/C/517/2026

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर
टोडरमल लेन, सिविल लाईन्स, अजमेर, Email :- ajmerada@gmail.com, Website :- www.rajasthan.gov.in/ada, Tel.No. :- 0145-2627748-2627749
क्रमांक :- अविप्रा/प.2/तकनीकी/2026-27/राजकाज 19859246 दिनांक :- 13/01/2026
ई-निविदा सूचना संख्या 50/2026-27
अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर की ओर से विभिन्न कार्यो अनुमानित लागत राशि रु. 655.20 लाख की ई-निविदा क्रम संख्या (1-2) दिनांक 05.02.2026, क्रम संख्या (3-4) दिनांक 27.01.2026 सांय 06:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित समस्त विवरण वेबसाईट (http://eproc.rajasthan.gov.in) एवं (http://sppp.raj.nic.in) http://www.urban.rajasthan.gov.in/ada पर देखा जा सकता है।
UBN : AJD2526WSOB00243-44, AJD2526SLOB00245, AJD2526WSOB00246
राज.संवाद/सी/25/17650 अधिशाषी अभियन्ता

अजमेर के कांग्रेसियों ने जयपुर में सचिन पायलट से मुलाकात की

■ **सचिन पायलट को मतदाता सूची में विशेष समुदाय के नाम कटवाने के षड्यंत्र की जानकारी दी**

अजमेर, (कासं)। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट से जयपुर में अजमेर के कांग्रेस ादाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी महेंद्र सिंह रलावता के नेतृत्व में मुलाकात की।

पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का अजमेर के कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया।

कांग्रेसियों ने एस आई आर अभियान में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग कर समुदाय विशेष के मतदाता सूची में से नाम कटवाने की साजिश की जानकारी दी। राष्ट्रीय महासचिव पायलट ने अजमेर के कांग्रेस पार्टी के सभी स्थानीय नेता, विधायकों, प्रत्याशियों, जिलाध्यक्ष और पदाधिकारियों से आव्हान किया है कि तुरंत जिला प्रशासन से संपर्क साधें, हर वोट की सख्त निगरानी करें और किसी भी वैध मत को कटने न दें।

वहीं कांग्रेसियों ने राष्ट्रीय महासचिव पायलट का साफा एवं माला पहनकर स्वागत किया एवं संगठात्मक रिपोर्ट दी। इस मौके पर अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी एवं पीसीसी मेंबर महेंद्र सिंह रलावता, पूर्व विधायक नाथूराम सिनोदिया, अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष विजय जैन, मुकेश सिंह राठौड़ सहित बड़ी संख्या में अजमेर के कांग्रेसजन उपस्थित रहे।

पाली : घर में बने टैंक में डूबी तीन साल की मासूम, मौत

■ **चार घंटे तक मोहल्ले में ढूंढते रहे परिजन, सोशल मीडिया पर भी संदेश डाला**

पाली, (नि.सं.)। पाली के कोतवाली थाना क्षेत्र की दुर्गा कॉलोनी में बुधवार शाम एक दर्दनाक हादसे में 3 साल की मासूम बच्ची की घर में बने पानी के टैंक में डूबने से मौत हो गई। परिजन करीब चार घंटे तक बच्ची को मोहल्ले में ढूंढते रहे, सोशल मीडिया पर भी लापता होने का संदेश डाला गया, लेकिन अंत में बच्ची घर के टैंक में बेसुध हालत में मिली।

कोतवाली थाना के जसवंत सिंह राजपुरोहित ने बताया कि दुर्गा कॉलोनी निवासी निर्मल जीनगर की 3 वर्षीय बेटी तमन्ना (तनु) मकर संक्रांति के दिन घर के बाहर खेल रही थी। शाम करीब पांच बजे बच्ची नजर नहीं आई तो परिजनों ने आसपास तलाश शुरू की। रिश्तेदारों और परिचितों को फोन किए गए, पड़ोसियों से पूछताछ की गई, लेकिन बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद परिजनों ने सोशल मीडिया पर तनु की फोटो के साथ उसके लापता होने की सूचना साझा की। मोहल्ले के लोग भी बच्ची की तलाश में जुट गए। इसी दौरान घर में बने पानी के टैंक पर परिजनों की नजर गई, जहां बच्ची पानी में डूबी हुई मिली। उसे तुरंत पाली के बांगड़ अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। परिजनों के अनुसार घटना के समय बच्ची के पिता निर्मल जीनगर, जो लोडिंग टैक्सी चलाते हैं, घर पर नहीं थे। मां रिंकू अपनी 1 साल की बेटी अंजली के साथ थी। खेलते-खेलते तमन्ना घर में बने टैंक तक पहुंच गई। टैंक का ढक्कन थोड़ा खुला हुआ था, जिसे बच्ची ने पूरी तरह खोल दिया और संतुलन बिगड़ने से टैंक में गिर गई।

बताया गया कि तलाश के दौरान एक बार टैंक में भी देखा गया था, लेकिन अंधेरा होने और बच्ची के पानी में डूब जाने के कारण वह नजर नहीं आई। करीब चार घंटे बाद दोबारा देखने पर बच्ची का शव टैंक में दिखाई दिया। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है और मामले की जांच की जा रही है।

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(पदार्थ प्रबन्ध एवं अनुबन्ध शाखा) नया पावर हाऊस परिसर, हैवी इंडस्ट्रीयल एरीया, जोधपुर-342003
ई-निविदा सूचना
ए.सी. डिजीटल टोंग टेस्टर तथा साईट टेस्टिंग के लिए टोंग टेस्टर TN 2113 (JVV2526GLOB00816) की खरीद हेतु ई-निविदा आंमत्रित की जाती हैं।
अन्य विवरण जैसे निविदा मुल्य, धरोहर राशि, निविदा प्रस्तुत करने / खुलने की तिथि का विवरण इत्यादि वेबसाईट www.energy.rajasthan.gov.in/jdvvnl एवं http://sppp.rajasthan.gov.in द्वारा जानी जा सकती हैं।
अधीक्षण अभियंता (पदार्थ प्रबन्ध एवं अनुबंध)
राज.संवाद/सी/25/17669
बिजली संबंधी शिकायतों के लिए टोल फ्री नम्बर 1800 180 6045

राजस्थान ऊर्जा विकास एवं आईटी सर्विसेज लिमिटेड
(राजस्थान सरकार का उपक्रम), पंजि.कार्या. : विद्युत भवन, ज्योति नगर, जयपुर - 302005
निविदा आमंत्रण विज्ञप्ति
रा. ऊ. वि. एवं आईटी सर्विसेस लि. जयपुर द्वारा एन. आई. टी संख्या HR 10/2025-26 में यथा उल्लेखित नियमों / शर्तो/ तकनीकी विशिष्टता के अनुसार ईछुक निविदा दाता/ फ़र्म /एजन्सी से हायरिंग ऑफ मैनपावर सर्विस हेतु अलग अलग मोहरबंद लिफाफो मे निविदा आमंत्रित की जाती है। अधिक जानकारी के लिए कृपया www.sppp.rajasthan.gov.in तथा https://eproc.rajasthan.gov.in की वैबसाइट देखें। UBN-RUV2526SLOB00014
राज.संवाद/सी/25/17647 आरयूवीआईटीएल/पीआर- 112 (2026) उप निदेशक (मा. सां.)
बिजली शिकायतों के लिए टोल फ्री नम्बर 1800 180 6507

Rajasthan University of Veterinary and Animal Science (Jobner)
B2 Bypass & Shipra Path Red-Light Crossing, Mansarovar, Jaipur-302020 (Rajasthan)
No. :- F.3 ( )/RUVAS/Comp/Purch./2025-26/ Dated :-
"पशु खाद्य" की दर-अनुबंध पर आपूर्ति हेतु ई-टेंडर सूचना संख्या-02
योग्य एवं फसल काटने वालो/किसानों/निर्माताओं/वितरकों से "विभिन्न प्रकार की पशु खाद्य सामग्री" की दर-अनुबंध और आपूर्ति के लिए ई-टेंडर आमंत्रित किए जाते हैं, जिसकी अनुमानित लागत 115.00 लाख रुपये है। टेंडर आवेदन 07-01-2026 से 28.01.2026 (शाम 5:00 बजे) तक जमा करने के लिए खुले रहेंगे और इसके बाद अगले दिन (29.01.2026) दोपहर 2:00 बजे से रुवास, (जोबनेर) जयपुर में टेंडर खोलने वाली समिति द्वारा बोलियां खोली जाएंगी। टेंडर के लिए विस्तृत नियम और शर्तें राज्य खरीद पोर्टल http://www.sppp.rajasthan.gov.in वेबसाइट, ई-प्रोक पोर्टल http://eproc.rajasthan.gov.in/ और विश्वविद्यालय वेबसाइट https://ruvasjaipur.rajasthan.gov.in/ पर उपलब्ध हैं। फाइनेंस कम्पट्रोलर, रुवास, (जोबनेर) जयपुर को एक या अधिक टेंडर रद्द करने का अधिकार है। जो बोलियां अथवा टेंडर निर्धारित नियमों और शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, या नियत तारीख के बाद जमा किए जाते हैं, उन्हें रद्द कर दिया जाएगा।
इस ई-टेंडर के लिए, UBN नंबर RVJ2526GLRC00013 है।
राज.संवाद/सी/25/17662 वित्त-नियंत्रक

श्रीगंगानगर में पारा 3.7 डिग्री दर्ज, फिर छाया कोहरा

■ **विजिबिलिटी दो मीटर तक रही**

श्रीगंगानगर, (निसं)। बीते दो दिनों से दिन में खिली धूप ने लोगों को कड़ाके की ठंड से कुछ राहत दी, लेकिन आज सुबह घने कोहरे ने एकबार फिर शहर को अपनी चपेट में ले लिया। कोहरे के विजिबिलिटी 2 मीटर के आस-पास रही, जिससे ट्रैफिक पूरी बाधित हो गया। ठंड के कारण बसों में यात्रियों की संख्या भी बहुत कम देखी गई। श्रीगंगानगर जिले में गुरुवार को घना कोहरा छाया रहा जिसके कारण विजिबिलिटी 2 मीटर के आस-पास रही।

मौसम राडार स्टेशन, श्रीगंगानगर पर गुरुवार सुबह न्यूनतम तापमान 3.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। न्यूनतम 3.6 डिग्री और अधिकतम 19.9 डिग्री, जबकि मंगलवार को न्यूनतम 1.4 डिग्री और अधिकतम 18.4 डिग्री दर्ज हुआ था। पिछले कई दिनों से न्यूनतम तापमान 3-4 डिग्री के आसपास बना हुआ है।

कृषि अधिकारियों के अनुसार न्यूनतम तापमान 4 डिग्री से नीचे जाने पर रात में पाला जमने की आशंका बनी रहती है, जिससे फसलों को भारी नुकसान हो सकता है। किसान फसलों में सिंचाई करें और रात में खेतों के आस-पास अलग-अलग स्थानों पर धुआं करें ताकि तापमान स्थिर रहे और पाला न जमे। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। इसके बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिससे ठंड में कुछ राहत मिल सकती है।

कोटा में गांजा सहित आरोपी गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। नयापुरा पुलिस टीम ने इलाके में गश्त के दौरान नशे के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन गरूड़ व्यूह के तहत कार्यवाही करते हुए अवैध मादक पदार्थ एक किलो 24 ग्राम गांजा सहित आरोपी को गिरफ्तार किया है। नयापुरा थानाधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि थाने के उप निरीक्षक नवल किशोर शर्मा ने मय जाप्ता इलाके में गश्त के दौरान उम्मेद सिंह स्टेडियम के समीप एक जने पर संदेह होने पर उसको डिटेन कर उसकी तलाशी ली तो उसके पास से एक किलो 24 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया। पुलिस टीम ने मौके पर सीसवाली निवासी कुलदीप सुमन उर्फ केडी को गिरफ्तार किया। पकड़े गये आरोपी से अनुसंधान जारी है।

बेटी की शादी के दिन की थी पिता की हत्या, पांच आरोपियों को उम्रकैद

■ **अभियुक्तों ने एक्सीडेंट का बदला लेने के लिए पीड़ित पर हमला किया था**

अलवर, (निसं)। अलवर के एडीजे कोर्ट संख्या-3 ने चार साल पुराने हत्या मामले में पांच आरोपियों को दोषी माना है। कोर्ट ने अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं 20-20 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया है। एडीजे कोर्ट की न्यायाधीश ज्योति सोनी ने यह फैसला गुरुवार को सुनाया। अभियुक्तों ने एक्सीडेंट का बदला लेने के लिए पीड़ित पर हमला किया था। इस पर उसकी मौके पर मौत हो गई थी। हादसे के दिन उनकी बेटी की शादी थी।

सरकारी वकील अजीत यादव ने बताया कि परिवादी सुब्बी ने 3 मार्च 2022 को थाना नौगांवा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार 2 मार्च 2022 को उसके बड़े भाई भबल (50) का दामाद गफ्फार गांव नंगला भूरिया से रसगण आ रहा था। इसी दौरान आरोपी हनीफ की नवासी अचानक बाइक के आगे आ गई, जिससे बाइक गिर गई। हालांकि बच्ची को कोई चोट नहीं आई, लेकिन इसके बावजूद आरोपियों ने गफ्फार के साथ मारपीट की। सरकारी वकील अजीत यादव ने बताया कि 3 मार्च 2022 को परिवादी के घर में बेटी का शादी समारोह था। उसी दिन परिवार के कुछ लोग नौगांवा कस्बे से लकड़ी के गुटखे लेने जा रहे थे। रास्ते में आरोपी हनीफ (50), जुहरु (55), हासम (40), माजिद और साजिद ने अपने गांव के पास उन्हें रोककर मारपीट शुरू कर दी। जब भबल और अन्य लोग बीच-बचाव करने पहुंचे तो आरोपियों ने भबल के सिर पर फरसी और लाठी-डंडों से हमला कर दिया था। गंभीर चोट लगने से भबल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब चार अन्य लोग घायल हो गए थे।

सरकारी वकील ने बताया कि पुलिस ने मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच पूरी की। अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 22 गवाह और 51 दस्तावेज पेश किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने पांचों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

कोर्ट के आदेश की पालना नहीं करने पर डीडवाना तहसीलदार की गाड़ी कुर्क

वक्फ कमेटी बनाम राज्य सरकार के मामले में कार्रवाई की, इससे पहले एसडीएम की गाड़ी भी हुई थी कुर्क

■ **कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा कि यह प्रकरण भी 8 सालों से लंबित है और बार-बार आदेश जारी होने के पश्चात भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा**

डीडवाना, (निसं)। डीडवाना में वक्फ से जुड़े एक ओर मामले में आठ साल बाद भी कोर्ट के आदेश की पालना नहीं करने पर अपर जिला न्यायाधीश के आदेश पर बड़ी कार्रवाई करते हुए तहसीलदार डीडवाना की सरकारी गाड़ी को कुर्क कर दिया गया। इस दौरान कोर्ट के आदेश पर एडीजे न्यायालय के नाजिर ने पुलिस की मौजूदगी में तहसीलदार की गाड़ी को कुर्क वारंट आदेश 21 नियम 32 के तहत की कुर्क कर लिया और उसे अपने कब्जे में लेकर पुलिस थाना में खड़ा कर दिया गया। इसके बाद अब जिला कलैक्टर की गाड़ी भी कुर्क की जाएगी, जिसके लिए भी कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है।

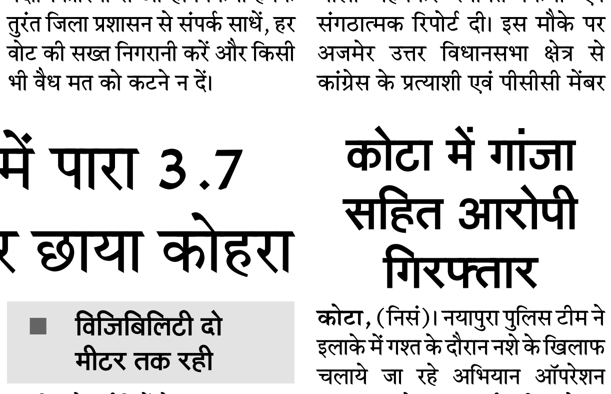

पुलिस की मौजूदगी में गाड़ी को कुर्क कर थाने में खड़ा कराया।

जानकारी के अनुसार अपर सेशन न्यायाधीश राजेश कुमार गजरा ने वक्फ कमेटी डीडवाना बनाम राज्य सरकार के मामले में दायर इजराय याचिका पर सुनवाई करते हुए डीडवाना जिला कलैक्टर और तहसीलदार के वाहनों को कुर्क करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने इस मामले में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा 8 सालों से बार बार जारी कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं करने को कोर्ट की अवमानना का दोषी मानते हुए दोनों अधिकारियों की गाड़ियों को कुर्क करने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने अपने फैसले में जिला कलैक्टर और तहसीलदार को ही लापरवाह अधिकारी बताया। कोर्ट ने कहा कि न्यायालय में 8 सालों से लंबित प्रकरण में बार-बार आदेश जारी होने के पश्चात भी प्रशासनिक अधिकारी केवल खानापूर्ति कर अगली तारीख प्राप्त कर मामले को लंबित रखने का प्रयास कर रहे हैं और अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं। यह अधिकारी जान बुझाकर कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं कर रहे हैं। ऐसे में प्रशासन के इन लापरवाह अधिकारियों को न्यायालय के आदेश न मानने की खुली छूट नहीं दी जा सकती।

गौरतलब है कि राजस्थान वक्फ न्यायाधिकरण जयपुर ने सिविल वाद संख्या 42/2003 में 20 जून 2016 को फैसला सुनाते हुए यह आदेश दिया था कि गजट नोटिफिकेशन में डीडवाना में वर्णित भूमि कब्रिस्तान की वक्फ जायदाद है तथा गजट नोटिफिकेशन के अनुसार जिला कलैक्टर, उपखंड अधिकारी व तहसीलदार इस कब्रिस्तान की भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करें तथा कब्रिस्तान की भूमि में किसी प्रकार की तब्दील करने व उसको किसी को अंतरण करने के लिए वह शाश्वत कल तक विरत रहेंगे। उक्त निर्णय की पालना के लिए अपर जिला न्यायाधीश की अदालत में वर्ष 2016 में इजराय याचिका दायर की गई थी।

इस याचिका के बाद न्यायालय ने राजस्थान वक्फ न्यायाधिकरण के निर्णय की पालना के लिए उपखंड अधिकारी, जिला कलैक्टर व तहसीलदार को बार-बार पत्र लिखे, वही 15 सितंबर 2025 को जिला कलैक्टर डीडवाना-कुचामन को उक्त आदेश की क्रियान्विति के लिए हुक्मनामा भी जारी किया गया था। इसके बावजूद डीडवाना-कुचामन प्रशासन की ओर से इजराय की पालना में कोई कार्य नहीं किया गया। कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा कि यह प्रकरण भी 8 सालों से लंबित है और बार-बार आदेश जारी होने के पश्चात भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। इस पर कोर्ट ने इस मामले में जारी हुकुमनामों की पालना न करने को अवमानना की श्रेणी में मानते हुए धारा 51 सीपीसी सपठित आदेश 21 नियम 32 के तहत डिक्री की पालना के लिए जिला कलैक्टर डीडवाना-कुचामन और तहसीलदार डीडवाना के वाहनों को कुर्क करने का आदेश दिया। जिसके बाद तहसीलदार को गाड़ी को कुर्क कर लिया गया।

बुजुर्ग महिला का शव सुजानगंगा नहर में मिला

■ **शिनाख्त होने के बाद शव का पोस्टमार्टम होगा**

भरतपुर, (निसं)। भरतपुर के मथुरा गेट थाना इलाके में एक महिला का शव सुजानगंगा नहर में पड़ा हुआ मिला। स्थानीय लोगों ने शव को देखा तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर सिविल डिफेंस की टीम को बुलाया गया। टीम ने शव को बाहर निकाला। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस शिनाख्त के प्रयास कर रही है।

मथुरा गेट थाने के चौबुर्जा चौकी में तैनात एएसआई नरेंद्र कुमार ने बताया कि स्थानीय लोगों द्वारा सूचना मिली थी कि केतन गेट स्थित सुजान गंगा नहर में एक शव पड़ा हुआ है। जिसके बाद तुरंत टीम मौके पर पहुंची। शव को निकालने के लिए सिविल डिफेन्स की टीम को बुलाया गया। शव को सिविल डिफेंस के जवानों ने बाहर निकाला। शव को निकालने के बाद आसपास पूछताछ की गई लेकिन, शव की शिनाख्त नहीं हुई। मृतक महिला की उम्र लगभग 60 साल है। बाल सफ़ेद रंग के हैं। शव को आरबीएम अस्पताल की मॉर्च्युरी में रखवा दिया गया है। शव के शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। शिनाख्त होने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा।

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
प्रभास्मि शशि सूर्ययोः
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (एम.एम.-प्रथम), पुराना पॉवर हाऊस, बनीपार्क, जयपुर, टेलीफैक्सः 0141-2208098
निविदा सूचना
एच टी एक्स एल पी ई केबल (33 KV, 3Cx300 Sq. mm) (निविदा संख्या-5027) (UBN-VVN2526GLOB00756), एच टी एक्स एल पी ई केबल (11 KV, 3Cx185 Sq. mm, 11 KV, 3Cx120 Sq. mm.) (निविदा संख्या-5028) (UBN-VVN2526GLOB00757), 4 कोर एलटी एक्स एल पी ई आरमर्ड केबल (4Cx185 Sq. mm., 4Cx120 Sq. mm.) (निविदा संख्या-5029) (UBN-VVN2526GLOB00758), एल टी एक्स एल पी ई इंसुलेटेड एरियल बन्च्ड केबल, बेयर मेसेन्जर वायर के साथ (1Cx25+25 Sq.mm) (निविदा संख्या- 5030) (UBN- VVN2526GLOB00760), एल टी एक्स एल पी ई इंसुलेटेड एरियल बन्च्ड केबल विद बेयर मेसेन्जर वायर (3Cx25+25 Sq.mm, 3Cx50+25 Sq.mm) (निविदा संख्या-5031) (UBN- VVN2526GLOB00762), 4 कोर एलटी पीवीसी आरमर्ड केबल (4Cx50, 4Cx25, 4Cx16, 4Cx10, 4Cx6 Sq. mm) (निविदा संख्या-5032) (UBN- VVN2526GLOB00764), 2 कोर एलटी पीवीसी आरमर्ड केबल (2Cx4 Sq.mm) (निविदा संख्या-5033) (UBN- VVN2526GLOB00765), ए सी एस आर डॉग कंडक्टर (निविदा संख्या-5034) (UBN- VVN2526GLOB00767), ए सी एस आर रैबिट कंडक्टर (निविदा संख्या-5035) (UBN- VVN2526GLOB00769), स्टे वायर (7/10, 7/8 SWG) (निविदा संख्या-5036) (UBN- VVN2526GLOB00770), सुरक्षा हेलमेट बिना एल ई डी लाइट (निविदा संख्या-5037) (UBN- VVN2526GLOB00773), रबर दस्ताने (निविदा संख्या-5038) (UBN-VVN2526GLOB00774), 9 मीटर 400 किग्रा पीसीसी पोल (निविदा संख्या-5039) (UBN-VVN2526GLOB00776), 9 मीटर 200 किग्रा पीसीसी पोल (निविदा संख्या-5040) (UBN-VVN2526GLOB00777), एमएस बोल्ट्स व नट्स साइज ('08"x5/8' '06"x5/8' '04"x5/8' '2.5"x5/8') (निविदा संख्या-5041) (UBN- VVN2526GLOB00778), फैब्रीकेटेड स्टील आइटम (नान वेल्डेड) 11/0.4 केवी ट्रॉन्सफार्मर सब स्टेशन स्ट्रक्चर ओन डीपीए 1.4 मीटर लम्बे एमएस चैनल मय क्लैम्प (निविदा संख्या-5042) (UBN- VVN2526GLOB00779), फैब्रीकेटेड स्टील आइटम (नान वेल्डेड) 33 केवी लाइन डी. पी., 1.8 मीटर लम्बे एमएस चैनल मय क्लैम्प, 33/11 केवी सब स्टेशन स्ट्रक्चर (रूरल), एरिया के लिये, 9 मीटर 400 और 200 किग्रा पीसीसी पोल के लिये स्टे क्लैम्प (निविदा संख्या-5043) (UBN- VVN2526GLOB00780), फैब्रीकेटेड स्टील आइटम (वेल्डेड) 33 केवी क्रॉस आर्म्स मय क्लैम्प (एंगल) व टॉप हैम्पर, 11 केवी क्रॉस आर्म्स (65x65x6) मय क्लैम्प (एंगल) व टॉप हैम्पर, 11 केवी टॉप हैम्पर बिना क्लैम्प, एलटी क्रॉस ब्रैकेट 4' लम्बे एवं 2' लम्बे, (निविदा संख्या-5044) (UBN- VVN2526GLOB00781), गैलवेनाईज्ड एम एस रोड टाईप अर्थिंग सैट (मय क्लैम्प और जी. आई. वायर) तीन/एक फेज ट्रॉन्सफार्मर के लिये (निविदा संख्या-5045) (UBN- VVN2526GLOB00782), एम एस फ्लैट (50x6 mm)ए एम एस चैनल (100x50x6 mm), एम एस एंगल (50x50x6 mm) एवं एम एस एंगल (65x65x6 mm) (निविदा संख्या-5046) (UBN- VVN2526GLOB00783), प्राथमिक उपचार पेटी (निविदा संख्या-5047) (UBN- VVN2526GLOB00784), लकड़ी की सीढ़ी (22 फीट) (निविदा संख्या-5048) (UBN- VVN2526GLOB00785), सेफ्टी बैल्ट (निविदा संख्या- 5049) (UBN-VVN2526GLOB00786), 33 केवी लैटिस स्ट्रक्चर (42' लम्बे), 33 केवी लैटिस स्ट्रक्चर (36' लम्बे) एवं 33/11 केवी सब स्टेशन स्ट्रक्चर अरबन एरिया के लिये (निविदा संख्या-5050) (UBN- VVN2526GLOB00787), 33 केवी एवं 11 केवी केबल टर्मीनेशन एवं जोईंटिंग किट (निविदा संख्या-5051) (UBN- VVN2526GLOB00759), 33 केवी जी आई पिन (निविदा संख्या-5052) (UBN- VVN2526GLOB00761), 11 केवी जी आई पिन (निविदा संख्या-5053) (UBN- VVN2526GLOB00763), जी एस स्टे सैट (20x2400 mm) एवं (16x1800 mm) (निविदा संख्या-5054) (UBN- VVN2526GLOB00766), एलुमीनीयम लग्स (185 Sq. mm.] 120 Sq. mm एवं 95 Sq. mm) (निविदा संख्या-5055) (UBN- VVN2526GSOB00768), शैकल हार्डवेयर (निविदा संख्या-5056) (UBN- VVN2526GLOB00771), 45 के एन टी एण्ड सी टाइप डिस्क इन्सुलेटर के लिय हार्डवेयर फिटिंग्स (निविदा संख्या-5057) (UBN-VVN2526GLOB00772), एबी केबल एसेसरीज (एन एफ सी टाईप) सस्पेन्षन क्लैम्प असैम्बली, डैड एंड क्लैम्प असैम्बली एवं इंसुलेशन पिर्यसिंग कनैक्टर टाईप-ए (निविदा संख्या-5058) (UBN- VVN2526GLOB00775), 33 केवी पिन इंसुलेटर (पोर्सलीन) (निविदा संख्या-5059) (UBN- VVN2526GLOB00788), 33 केवी 800 एम्पीयर एवं 11 केवी 400 एम्पीयर आईसोलेटर बिना ईबी मय पोस्ट इंसुलेटर (निविदा संख्या-5060) (UBN- VVN2526GLOB00789), 11 केवी रोस्टर स्विच मय पोस्ट इन्सुलेटर (निविदा संख्या-5061) (UBN- VVN2526GLOB00790), 11 के वी 45 के एन टी एण्ड सी टाइप डिस्क इन्सुलेटर (पोर्सलीन) (निविदा संख्या-5062) (UBN-VVN2526GLOB00791), 11 केवी पिन इंसुलेटर (पोर्सलीन) (निविदा संख्या-5063) (UBN-VVN2526GLOB00792), 33 केवी एवं 11 केवी स्टे इंसुलेटर एवं एल टी शैकल इंसुलेटर (निविदा संख्या-5064) (UBN- VVN2526GLOB00793), 11 केवी पिन इंसुलेटर (पोलीमर) (निविदा संख्या-5065) (UBN- VVN2526GLOB00794), 45 के एन टी एण्ड सी टाइप टाइप डिस्क इन्सुलेटर (पोलीमर) (निविदा संख्या-5066) (UBN- VVN2526GLOB00797), 11 केवी हॉर्न गैप फ्यूज सैट पोस्ट इंसुलेटर के साथ (निविदा संख्या-5067) (UBN-VVN2526GLOB00799), पैन्थर कंडक्टर, डॉग कंडक्टर एवं रैबिट कंडक्टर के लिए पीजी क्लैम्प (निविदा संख्या-5068) (UBN- VVN2526GLOB00800), 33 केवी एवं 11 केवी आईसोलेटर के फिक्स्ड कॉन्टेक्ट (जॉ) एवं मुविंग कॉन्टेक्ट (पाइप) (निविदा संख्या-5069) (UBN- VVN2526GLOB00801) की खरीद हेतु 'ई-प्रोक्योरमेंट' प्रणाली के अन्तर्गत निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा के बारे में अन्य विवरण वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in एवं http://energy.rajasthan.gov.in/jvvnl द्वारा जाने जा सकते हैं। भविष्य में निविदा में किसी भी प्रकार के संशोधन / तिथि बढ़ाने की जानकारी केवल वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in एवं http://energy.rajasthan.gov.in/jvvnl पर उपलब्ध कराई जाएगी।
राज.संवाद/सी/25/17645 जेपीआर - 3110 (2026) अधीक्षण अभियन्ता (एम.एम. प्रथम)
बिजली शिकायतों के लिए टोल फ्री नम्बर 1800 180 6507